



Department of Elementary Education
Govt. of Uttarakhand

APPENDIX-TWO
FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION
(AMENDMENT) RULES, 2013
Renewal of Application for Registration under RTE

Email : Deobasicharidwar@gmail.com

Phone Number :

Fax Number :

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Haridwar, Uttarakhand
Letter No : 1632 code-71

Dated : 24-05-2022

To,

The Manager,
SPRING FIELD SCHOOL, VILLAGE POST BAHADRABAD
Haridwar, Hardwar, BAHADRABAD, Pin-Code: 249402

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 24-05-2022 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school SPRING FIELD SCHOOL, VILLAGE POST BAHADRABAD, Haridwar, Hardwar, Pin-Code: 249402. The registration/recognition number of your school is RTE-33760 in District Haridwar. This registration/recognition is for the period from 24-05-2022 to 24-05-2027 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. If prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules, 2011.

Pinki
Mantri/ Manager
Spring Field School
Bahadrabad, Haridwar (U.K.)

Sumedha
PRINCIPAL
SPRING FIELD SCHOOL
BAHADRABAD, HARIDWAR (U.K.) 249402

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Haridwar
Uttarakhand

11.11.2016 To 31-3-2021

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-17 के उपनियम (5) को देखें:

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0) हरिद्वार।

पत्रांक : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0/

6539-43

/2020-21

दिनांक 02/11/2020

सेवा में,
अध्यक्ष/प्रबन्धक/संस्थापक,
स्प्रिंग फील्ड स्कूल,
विकासखण्ड - बहादुराबाद
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय:

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में मान्यता समिति के बैठक दिनांक 20.02.2020 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालयी, स्प्रिंग फील्ड स्कूल, विकासखण्ड - बहादुराबाद जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को कक्षा 01 से 08 तक की विद्यालय संचालन हेतु पांच वर्षों दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2021 तक अवधि के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

- मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-9 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये भी किया जायेगा।
- उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
- संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे -
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा
(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप में छात्रों का नामांकन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा-
• विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
• कुल निर्मित क्षेत्र;
• खेल के मैदान का क्षेत्र;
• कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;

Pink
Mantri/ Manager
Spring Field School
Bahadrabad, Haridwar (U.K.)

Sunil
PRINCIPAL
SPRING FIELD SCHOOL
BAHADRABAD, HARIDWAR (U.K.) 249402

2-11-20

